वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,आज, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 13.06.2025

वीडीए ने पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। नगवां वार्ड के काशीपुर टिकरी में सोनू सिंह की ओर से यह प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला की देखरेख में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

आज–दि0 13.06.2025

अवैध प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं की टीम ने गुरुवार को वार्ड नगवा के टिकरी गांव के पास सोनू सिंह नामक कास्टकार के पांच बीघे में किये गये प्लाटिंग के विरुद्ध कारवाई हुई। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कारवाई की।

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 13.06.2025

एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में होने वाले निर्माण की ऊंचाई तय है. इसके लिए कलर कोड जोन भी है. इसके अनुसार ही निर्माण कराना है. टॉवर के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है. अगर ऐसा तो एक्शन लिया जाएगा.

डॉ. वेद प्रकाश मिश्र, सचिव वीडीए

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 13.06.2025

वार्ड नगवा में 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-4 ,वार्ड-नगवाँ के अंतर्गत 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-नगवाँ, काशीपुर, टिकरीङ के अन्तर्गत सोनू सिंह द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 05 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी , जिसे आज दिनांक 12/06/2025 को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।